

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142 पार्ट-3/2019/ दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08, एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	दये पे बैण्ड एसीपी/ पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/ पे मैट्रिक्स लेवल
1	श्री राजेन्द्र बैरवा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सज्जनगढ (बांसवाडा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
2.	श्री नन्दराम बैरवा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सज्जनगढ (बांसवाडा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
3.	श्री रमेश चन्द यादव, वरि.लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपुतली, जयपुर	02.04.1992	02.04.2019 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
4.	श्री रघुवीर प्रसाद दाधीच, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगोद (कोटा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
5	श्री मुकेश कराड, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर (कोटा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
6.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर (कोटा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

7.	श्रीमती सविता मीणा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खैराबाद चेचट (कोटा)	22.05.2009	22.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
8.	श्री सुनील सेन, लै.टे	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
9.	श्रीमती किरण देपन, लै.टे	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	19.05.2009	19.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
10.	श्री मदन लाल माली, वरि. लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय, शाहपुरा (भीलवाडा)	06.05.1992	06.05.2019 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
11.	श्रीमती स्नेहलता सिंह, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर (जयपुर द्वितीय)	03.03.2009	03.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
12.	श्री हरीश कुमार, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोहर (हनुमानगढ़)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
13.	सुश्री वहीदा बी.वी. के.एम, लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आसीन्द (भीलवाडा)	22.05.2009	22.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
14.	श्री देवेन्द्र कुमार बरुनिया, लै.टे	रा.चि.रिजर्व पुलिस लाईन जयपुर-प्रथम	02.06.1999	02.06.2017 18 वर्ष	लेवल-10	लेवल-11
15.	श्री गोपाल लाल शर्मा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाकसू (जयपुर)	13.04.1992	13.04.2019 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
16.	श्री शुभकरण शर्मा, वरि.लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर (हनुमानगढ़)	03.04.1992	03.04.2019 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
17.	श्री महिपाल सिंह, लै.टे	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	01.10.1993	01.10.2011 18 वर्ष	9300-34800	3600

18.	श्री शम्भूलाल भाटी, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
-----	---------------------------------	--	------------	----------------------	--------	--------

नोट:-उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 27/06/19

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142 पार्ट-3/2019/394
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर